तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
31/03/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में ज्ञात है कि वादीगण द्वारा दिनांक 21-1-83 को प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा आवंटित भूमि ग्राम दानवरली के गत खसरा नंबर 83 रकबा 8 बीघा से बने हाल खसरा नंबर 245 रकबा 39.70 हैक्टर में से 1.28 हैक्टर किस्म में गै. मु. मगरी की घोषणा खातेदारी के साथ प्रतिवादी के विरुद्ध सार्वकालिक निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने की दलील दी गई है। इस संबंध में वादग्रस्त भूमि के आवंटन के साक्ष्य स्वरूप आदेश भू-आवंटन राजकीय सिवायचक भूमि प्रदर्श Exp2 पेश की। इसके साथ ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के साक्ष्य स्वरूप संवत 2063, 2064, 2065, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072. के धारा 91 के नोटिस की प्रतियां पेश की गई। तथा साथ ही खसरा परिवर्तनशील संवत, 2046, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068 की प्रतियां पेश की गई। तथा मौखिक साक्ष्य गवाह वादी PW-1 द्वारा पुगवाबु के द्वारा इन अभिलेखीय साक्ष्यों बाबत स्वीकृति दी गई। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब में भूमि सिवायचक दर्ज होने तथा आवंटन के बाद 36 वर्ष की अवधि गुजरने के पश्चात बिना ठोस सबूतों के वाद प्रस्तुत होने से वादी का वाद खारिज किये जाने की दलील दी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात वादीगण द्वारा 36 वर्ष पूर्व हुये आवंटन आदेश के आधार पर दानवरली के खसरा नंबर 245 रकबा 39.70 हैक्टर में से 1.28 हैक्टर की खातेदारी घोषणा की मांग की गई है परंतु गत खसरा नंबर 82 से दानवरली के हाल खसरा नंबर 245 बनने की पुष्टि में वादी द्वारा न तो गत व हाल नक्शे की प्रतियां पेश की गई तथा इसके साथ ही प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से गत खसरा नं. 82 से हाल खसरा नं. 245 बनने की भी पुष्टि नहीं होती है। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा नं. 282 से	

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	हाल खसरा नं. 245 के अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बर भी बने है। वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के द्वारा भी उक्त: प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल को प्रदर्शित नही करवाया गया। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों से नही होती है। इसके साथ ही वादी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा संवत 2063 से 2068 तक ही रहने की पुष्टि प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील की प्रतियों से होती है। जिससे वादी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी भूमि पाने का अधिकारी नही रहता है। लिहाजा वादी द्वारा ग्राम पानवरली के खसरा नंबर 245 में से 1.28 हैक्टर की घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद U/S 88, 188 RTA खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.**

वादी :–

बाबु पुत्र श्री भूराजी जाति गरासिया
निवासी दानवरली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 40/2019 Gcms No. 2019/00257
वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादी द्वारा जिस भूमि ग्राम दानवरली के खसरा नंबर 245 रकबा 39.70 हैक्टर में से 1.28 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किये जाने की मांग की जा रही है, वह भूमि राजकीय सिवायचक है तथा आंवटन के 36 वर्ष की अवधि गुजरने के पश्चात बिना ठोस सबूतों के वाद प्रस्तुत किया है। लिहाजा वादी द्वारा ग्राम दानवरली के खसरा नंबर 245 रकबा 39.70 हैक्टर में से 1.28 हैक्टर की खातेदारी घोषणा व सार्वकालिक निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31-03-23 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
बाली प्रदेश सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner